कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

::कार्यालय आदेश::

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक शिविरा/माध्य/संस्था/बी–2/45002/प्रधाना./स्थाना./2019 दिनांक 29.09.2019 द्वारा श्रीमती आशा शर्मा, प्रधानाचार्य राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, गणगौरी बाजार, जयपुर का स्थानान्तरण राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, पोलयाडा, टोंक किया गया था जिसके विरूद्ध श्रीमती आशा शर्मा द्वारा माननीय राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण में अपील संख्या 2909/2019 आशा शर्मा बनाम राजस्थान राज्य व अन्य दायर की गई।

अपील संख्या 2909/2019 में माननीय अधिकरण द्वारा पारित अन्तरिम आदेश दिनांक 18.10.2019 द्वारा विभागीय आलोच्य स्थानान्तरण आदेश दिनांक 29.09.2019 का प्रभाव एवं क्रियान्वयन अपीलार्थी के सम्बन्ध में उनके नवीन पदस्थापन स्थान पर कार्यग्रहण नहीं किये जाने की स्थिति में अपने आगामी आदेश तक स्थगित कर दिया गया है।

अतः माननीय अधिकरण के उक्त आदेश की अनुपालना में विभागीय आक्षेपित आदेश दिनांक 29.09.2019 को अपीलार्थी के सम्बन्ध में माननीय अधिकरण की आगामी सुनवाई तक स्थगित किया जाता है जिसके फलस्वरूप श्रीमती आशा शर्मा, राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, गणगौरी बाजार, जयपुर में प्रधानाचार्य के पद पर माननीय अधिकरण के आगामी/अन्तिम निर्णय के अध्यधीन कार्यरत रहेंगी एवं उनके स्थान पर स्व. मन्नालाल विजयवर्गीय राउमावि, हरसोली सांभरलेक, जिला जयपुर से राबाउमावि, गणगौरी बाजार, जयपुर में पदस्थापित प्रधानाचार्य श्रीमती जयश्री भार्गव का अन्तरिम समायोजन दोहरे पदस्थापन की स्थिति को समाप्त करने के उद्देश्य से राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पोलयाडा जिला टोंक किया जाता है। उक्त पदस्थापन/समायोजन पूर्णतया माननीय अधिकरण के आगामी/अन्तिम निर्णय के अध्यधीन रहेगा।

(नथमल डिडेल)
आई.ए.एस
निदेशक माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः शिविरा–मा./संस्था/बी–2/अपील//2909/2019 दिनांक: 21.10.2019

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतन्त्र प्रभार) प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, जयपुर/अजमेर संभाग, जयपुर/अजमेर।
4. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, जयपुर/टोंक।
5. जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) माध्यमिक, जयपुर/टोंक।
6. सम्बन्धित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी।
7. जिला शिक्षा अधिकारी (विधि) माध्यमिक, जयपुर।
8. सहायक निदेशक, विधि अनुभाग कार्यालय हाजा।
9. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड हेतु।
10. सम्बन्धित प्रधानाचार्यों को आदेश की पालनार्थ।
11. निजी/रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक(कार्मिक)

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

::कार्यालय आदेश::

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक शिविरा/माध्य/संस्था/बी–2/45002/प्रधाना/स्था./2019 दिनांक 29.09.2019 द्वारा श्री नवाब सिंह, प्रधानाचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, विजयपुरा, बस्सी जिला जयपुर का स्थानान्तरण राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मछारासाथ जिला बांसवाडा किया गया था जिसके विरूद्ध श्री नवाब सिंह द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर में एस.बी.सिविल याचिका संख्या 17052/2019 नवाब सिंह बनाम राजस्थान राज्य व अन्य दायर की गई।

याचिका संख्या 17052/2019 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित अन्तरिम आदेश दिनांक 15.10.2019 द्वारा विभागीय आलोच्य स्थानान्तरण आदेश दिनांक 29.09.2019 का प्रभाव एवं क्रियान्वयन याचिकार्थी श्री नवाब सिंह के सम्बन्ध में माननीय न्यायालय के आगामी आदेश तक स्थगित किया गया हैं।

अतः श्री नवाब सिंह माननीय न्यायालय के उक्त आदेश की अनुपालना में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय विजयपुरा, बस्सी जिला जयपुर में माननीय न्यायालय के आगामी/अन्तिम निर्णयाधीन पूर्ववत पदस्थापित रहेंगे एवं उनके स्थान पर स्थानान्तरित प्रधानाचार्य श्रीमती सुनीता ढाका, का अन्तरिम समायोजन राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय जुनिया, (JUNIYA) केकड़ी जिला अजमेर में प्रधानाचार्य के रिक्त पद पर किया जाता है। उक्त समायोजन पूर्णतया माननीय न्यायालय के आगामी/अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा।

(नथमल डिडेल)
आई.ए.एस
निदेशक माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः शिविरा–मा./संस्था/बी–2/एसबीसिया/नवाब सिंह/14972/2019 दिनांक 21.10.2019

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतन्त्र प्रभार) प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, जयपुर/अजमेर संभाग, जयपुर/अजमेर।
4. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, जयपुर/अजमेर।
5. जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) माध्यमिक, जयपुर/अजमेर।
6. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, बस्सी, जयपुर को निर्देशित किया जाता है कि वे आदेश की पालना सुनिश्चित करावें।
7. जिला शिक्षा अधिकारी (विधि) माध्यमिक, जयपुर।
8. सहायक निदेशक, विधि अनुभाग कार्यालय हाजा।
9. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड हेतु।
10. सम्बन्धित प्रधानाचार्यों को आदेश की पालनार्थ।
11. निजी/रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक(कार्मिक)

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर

कार्यालय आदेश

इस कार्यालय के आदेश क्रमांकः शिविरा/माध्य/संस्था/बी–2/45002/प्रधाना./स्थाना./2019 दिनांक 29.09.2019 द्वारा श्रीमती उर्मिला बारहठ, प्रधानाचार्य, राउमावि रामसागर, देवली जिला टोंक, को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मुरलीपुरा स्कीम, वार्ड नम्बर 4, जयपुर सिटी, जयपुर एवं श्रीमती ओम कंवर राठौड, प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मुरलीपुरा स्कीम, वार्ड नं. 4, जयपुर सिटी जिला जयपुर को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय झालर बावडी, बडोलिया जिला चित्तोडगढ स्थानान्तरित किया गया था।

राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मुरलीपुरा स्कीम, जयपुर में कार्यरत प्रधानाचार्य श्रीमती ओम कंवर के माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर से एस.बी.सिविल याचिका संख्या 25435/2018 में अन्तरिम स्थगनादेश प्राप्त होने के फलस्वरूप उक्त विद्यालय में दोहरे पदस्थापन की स्थिति उत्पन्न हो गई है।

अतः श्रीमती ओम कंवर राठौड, माननीय उच्च न्यायालय के अन्तरिम आदेश की अनुपालना में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मुरलीपुरा स्कीम, वार्ड नम्बर 4, जयपुर सिटी जिला जयपुर में प्रधानाचार्य के पद पर पूर्ववत पदस्थापित रहेंगी एवं श्रीमती उर्मिला बारहठ, प्रधानाचार्य का अन्तरिम समायोजन दोहरे पदस्थापन के मद्देनजर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कुम्हारिया, भिनाय जिला अजमेर में प्रधानाचार्य के रिक्त पद पर किया जाता है। उक्त पदस्थापन/समायोजन पूर्णतया माननीय उच्च न्यायालय के आगामी/अन्तिम निर्णय के अध्यधीन रहेंगे।

(नथमल डिडेल)
आई.ए.एस
निदेशक माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः–शिविरा–मा./संस्था/बी–2/ओम कंवर/याचिका/25435/2018 दिनांक 21.10.2019

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मन्त्री महोदय, प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, राजस्थान जयपुर।
3. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, जयपुर संभाग, जयपुर।
4. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, जयपुर।
5. जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) माध्यमिक, जयपुर।
6. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक (विधि) जयपुर।
7. सहायक निदेशक, विधि अनुभाग कार्यालय हाजा।
8. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड हेतु।
9. संबंधित कार्मिकों/प्रधानाचार्यों को आदेश की पालनार्थ।
10. निजी/रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक(कार्मिक)